उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-176/2018/2989/92-2-2018-52(जॉच)/2018,
लखनऊ :: दिनांक:: 06 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चयनित पैकेज संख्या-यू0पी0-45102, एन0एच0-26 से पॉली (चै0-0.00 से 8.00 कि0मी0) तक के निर्माणाधीन कार्यों में की गयी अनियमितता एवं संपादित कराये गये खराब कार्यों को छिपाने तथा गुणवत्ताहीन मार्ग के निर्माण कार्य में दोषी ठेकेदार/फर्म को काली सूची में डाले जाने एवं ठेकेदार का बचाव/सहयोग का प्रयास किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-176/2018/2989(1)/92-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निदेशालय के पत्र संख्या-जी-1257/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0/पत्रा0सं0-/18-19, दिनांक 27.11.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री रिजवान साविर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर मय साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in